(3)

<u>बिहार सरकार</u>

<u>पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</u>

सं0सं0– पि0व0 / 4 / वि0यो0–22–03 / 2023– 63

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक– 27/05/2026

विषयः– राज्य के 12 जिलों यथा–औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा, सीवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न सामग्रियों / उपकरणों यथा–पैनल लाईटिंग, 2 के0वी0ए0 यू0पी0एस0, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की आपूर्ति हेतु कुल राशि रू0 59,67,000 / – (रू0 उनसठ लाख सड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. राज्य के 12 जिलों यथा–औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालंदा, सहरसा, सीवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न सामग्रियों / उपकरणों यथा–पैनल लाईटिंग, 2 के0वी0ए0 यू0पी0एस0, कम्प्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की आपूर्ति हेतु कुल राशि रू0 59,67,000 / – (रू0 उनसठ लाख सड़सठ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त वर्णित 12 जिलों में संचालित आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु विभिन्न सामग्रियों / उपकरणों की आपूर्ति हेतु कुल व्यय विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि रू0 में)

क्र0 सं0	सामग्री / उपकरण	प्रति विद्यालय सामग्रियों / उपकरणों की संख्या	12 विद्यालयों के लिए कुल संख्या	दर	कुल राशि
1	कम्प्यूटर टेबल	41	492	4000 / –	1968000 / –
2	कुर्सी	41	492	3500 / –	1722000 / –
3	2 के0वी0ए0 यू0पी0एस0	03	36	21000 / –	756000 / –
4	2 फीट X 2 फीट पैनल लाईटिंग	30	360	2625 / –	945000 / –
5	पोडियम, कम्प्यूटर टेबल एवं कुर्सी	03	36	16000 / –	576000 / –
	कुल				5967000 / –

4. स्वीकृत राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0101–शिक्षा, विषय शीर्ष–13 01 कार्यालय व्यय, विपत्र कोड संख्या–11–2225032770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात् इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के पी0एल0 खाता में उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

6. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक–274 दिनांक–05.05.2026 के द्वारा उक्त संदर्भित सभी 12 आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए पैनल लाईटिंग, यू0पी0एस0 एवं कम्प्यूटर टेबल तथा कुर्सी तथा कम्प्यूटर लैंब में फर्नीचर यथा–कम्प्यूटर टेबल और कुर्सी आदि का क्रय निगम के द्वारा निविदा में तय की गयी विशिष्टियों एवं दर के अनुरूप की जायेगी।

7. उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–68 दिनांक–14.01.2025 में प्रावधानित दिशा–निर्देश के अनुसार अधिष्ठापन, निरीक्षण आदि कार्य किया जायेगा।

8. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में की जायेगी।

10. प्रस्ताव पर दिनांक–20.05.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रिनिंग समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

11. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/05/26

(अनिल कुमार ठाकुर),

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22--03/2023– 63. पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति के साथ प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/05/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2023– 63 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/ संबंधित प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/05/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–03/2023– 63 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि– माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/05/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–02/2023– 63 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/05/26

अपर सचिव।